प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

समक्ष – माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव एवं माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा न्यायमूर्ति

<u>रिट याचिका संख्या– 2621/2003</u>

रूप नारायण वर्मा

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारणार्थ आदेश –

सही/–

वी.के.श्रीवास्तव

न्यायाधीश

16/01/2007

सहमत –

सही/–

श्री धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

आदेश के लिए याचिका 18 जनवरी2007 –

सही/–

वी.के.श्रीवास्तव

न्यायाधीश

17/01/2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

समक्ष – **माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव एवं माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा न्यायमूर्ति**

रिट याचिका संख्या– 2621/2003

याचिकाकर्ता – रूप नारायण वर्मा, पिता स्वर्गीय घनश्याम वर्मा,

आयु लगभग 40 वर्ष,

निवासी क्लब पारा, वार्ड क्रमांक 19,

पुलिस थाना, तहसील एवं जिला महासमुंद (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण – 1. भारत संघ द्वारा सचिव, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली

2. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, डी के एस भवन, रायपुर (छ.ग.)

3. चित्ररेखा वर्मा, पिता श्री नीलकंठ वर्मा, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी – बोरियाकला, थाना अभनपुर, डाकघर डुमतराई, तहसील और जिला रायपुर

उपस्थित

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता।
उत्तरवादी संख्या 1/भारत संघ के लिए	:	श्री भीष्म किंगर, स्थायी अधिवक्ता।
उत्तरवादी संख्या 2/राज्य के लिए	:	श्री प्रशांत मिश्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 3 के लिए : श्री पी.पी. साहू, अधिवक्ता।

आदेश

(पारित 18/01/2007)

न्यायमूर्ति विजय कुमार श्रीवास्तव, द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :

1– यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत निम्नलिखित न्यायिक अनुतोष के लिए याचिका है:

01) एक रिट और/या परमादेश रिट की प्रकृति का एक आदेश जारी किया जाता है जिसमें उत्तरवादी राज्य प्राधिकारियों को सभी प्रासंगिक फाइल्स, दस्तावेज और अभिलेख आदि प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है ताकि यह दर्शाया जा सके कि देश और छत्तीसगढ़ राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

02) एक रिट और/या परमादेश की प्रकृति का आदेश जारी किया जाता है, जिसमें उत्तरवादी राज्य प्राधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 के प्रावधानों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करें तथा इसके लिए एक योजना तैयार करें और उक्त विवाहों पर रोक लगाने के लिए एजेंसी स्थापित करें।

02–A– एक रिट और/या उचित प्रकृति की रिट के रूप में एक आदेश जारी किया जावें जिसमें घोषित किया जावें कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(2)(iv) भारत के संविधान की धारा 15 के अधिकारातीत है।

03) एक रिट और/या उत्प्रेषण रिट की प्रकृति में एक आदेश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आपेक्षित दिनांकित आदेश 04–07–2003 (अनुलग्नक पी–4) को रद्द करने के लिए जारी करता है क्योंकि प्रतिवादी राज्य प्राधिकारी प्रासंगिक समय पर बाल विवाह को रोकने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं और जिसके कारण याचिकाकर्ता और उत्तरवादी संख्या 3 के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है और इसलिए, उत्तरवादी संख्या 3 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशित भरण–पोषण की राशि का भुगतान करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

02– याचिकाकर्ता और उत्तरवादी संख्या 3 धर्म से हिंदू हैं। जब याचिकाकर्ता लगभग 7 वर्ष और उत्तरवादी संख्या 3 लगभग 4 वर्ष की थी, तब उनका विवाह दिनांक 21.04.1969 को ग्राम बोरियाकला, तहसील और जिला रायपुर में हुआ था। विवाह के लगभग 23 वर्ष बीत जाने के बाद, उत्तरवादी क्रमांक 3 ने दिनांक 06.07.1992 को रायपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (जिसे अब “कोड” कहा जाएगा) के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध 1000/– रुपये प्रति माह के भरण–पोषण का दावा करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने विभिन्न आधारों पर इसका विरोध किया, जिसमें विशिष्ट आधार यह था कि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के (इसके बाद "अधिनियम 1955") अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार नहीं हुआ था, और यह बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 (इसके बाद अधिनियम 1929) के प्रावधानों के विरुद्ध है। विद्वान दंडाधिकारी ने पक्षों की जांच और सुनवाई के बाद दिनांक 06.07.2002 को एक आदेश पारित किया और याचिकाकर्ता को उत्तरवादी संख्या 3 को उसके भरण–पोषण के लिए प्रति माह 750/– रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 315/2002 प्रस्तुत किया। विद्वान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर ने पक्षकारों की सुनवाई के

पश्चात पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, आपेक्षित दिनांकित आदेश 04.07.2002 के द्वारा पुनरीक्षण को खारिज कर दिया।

03– ये दोनों आदेश याचिकाकर्ता को यह याचिका दायर करने के लिए बाध्य करने का मूल कारण हैं, जिन्होंने तर्क दिया कि अब तक अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत निर्धारित आयु के मानदंड के अनुसार, याचिकाकर्ता और उत्तरवादी संख्या 3 आयु वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं; इसलिए, दोनों ने एक–दूसरे के प्रति कोई कानूनी प्रवर्तनीय दायित्व अर्जित नहीं किया है। अधिनियम 1929 में आयु वर्ग भी निर्धारित किया गया है; उस आयु वर्ग से कम आयु में विवाह पर प्रतिषेध है, याचिकाकर्ता और उत्तरवादी संख्या 3 आयु वर्ग से कम थे; इसलिए, उनका विवाह भी अधिनियम 1929 के प्रावधानों से प्रभावित हुआ। राज्य प्राधिकारियों को बाल विवाह के आयोजन को रोकने और अधिनियम 1929 के प्रावधानों को प्रभावी करने का दायित्व था, लेकिन वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी तरह विफल रहे; यदि राज्य प्राधिकारियों ने बाल विवाह के निषेध के लिए प्रभावी कदम उठाए होते, तो याचिकाकर्ता को उत्तरवादी संख्या 3 से विवाह करने से बचाया जा सकता था। यहां तक कि राज्य प्राधिकारियों की ओर से की गई चूक ने भी कई जोड़ों को विवाह के बाद भी साथ रहने की अनुमति दी गई जो कि अधिनियम 1929 का उल्लंघन है। अधिनियम 1955 की धारा 13 (2) (iv) के प्रावधानों के अनुसार, 15 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाली पत्नी को 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अपने विवाह को अस्वीकार करने की अनुमति दी गई है, चाहे वह सहवास हुआ हो या नहीं, लेकिन पति को विवाह को अस्वीकार करने का ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता और उत्तरवादी संख्या 3 के बीच लिंग के आधार पर यह भेदभाव किया गया है और ऐसा भेदभाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के दायरे में स्वीकार्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

04– ऊपर बताए गए तथ्यों और मांगी गई अनुतोष से, यह स्पष्ट है कि एक ही याचिका में याचिकाकर्ता ने अनुतोष का दावा किया हैं, सबसे पहले अपनी पत्नी के खिलाफ, दूसरे राज्य के अधिकारियों के खिलाफ और तीसरे कानून निर्माताओं के खिलाफ अनुतोष का दावा किया है। प्रथम अनुतोष के लिए, याचिकाकर्ता को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने का अधिकार है, जिसके लिए स्वतंत्र कार्यवाही का वाद–कारण उत्पन्न हुआ हो। दूसरा अनुतोष जनहित की प्रकृति का है, अर्थात् राज्य प्राधिकारियों के विरुद्ध, उचित तरीके से दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण, जिसके लिए समय–समय पर जब राज्य प्राधिकारियों ने कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, तो वाद–कारण उत्पन्न हुआ और तीसरा वाद–कारण तब उत्पन्न हुआ, जब अधिनियम 1955 की धारा 13 (2) (iv) अस्तित्व में आई। सभी अनुतोष अलग–अलग हैं और उन अनुतोष के लिए, उच्च न्यायालय को अपने विशिष्ट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना होगा, अर्थात आपराधिक कानून, विवाह कानून और संविधान के अनुसार। हमें यह मानने में डर लग रहा है कि एक ही याचिका द्वारा इतनी उलझी हुई राहतें मांगी जा सकती हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

05– याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि विवाह कानून संशोधन अधिनियम, 1955 द्वारा अधिनियम में संशोधन को शामिल करने और निम्नलिखित संशोधन प्रदान करने से भेदभाव हुआ है, और लिंग के आधार पर भेदभाव होने के कारण इसे कानून में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

> "धारा 13 (2) (iv) पत्नी तलाक की डिक्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए निम्न आधार पर भी याचिका प्रस्तुत कर सकती है:–
>
> (iv) कि उसका विवाह (चाहे वह सम्पन्न हुआ हो या नहीं) 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व सम्पन्न हुआ था

और उसने उस आयु को प्राप्त करने के पश्चात् किन्तु अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व विवाह का परित्याग कर दिया है।

स्पष्टीकरण :– यह खण्ड लागू होती है चाहे विवाह विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 68) के प्रारंभ होने से पहले या बाद में संपन्न हुआ हो।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

06– इस आपत्ति पर, विपक्षी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(3) स्वयं इस प्रकार के प्रावधान को अधिनियमित करने का प्रावधान करता है। अतः, यह संशोधन किसी भी प्रकार से वैध नहीं है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) इस प्रकार है –

"(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।"

07– माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 प्रताप सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2 तोगुरु सुधाकर रेड्डी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य और 3 आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पीएस विजय कुमार एवं अन्य मामलों में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु राज्य की क्षमता को भी मंजूरी दी। इस मामले में, महिलाओं के लाभ के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं और वे प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) के दायरे में आते हैं। इसलिए, पूरा संशोधन विधिसम्मत है और अधिकारों के दायरे से बाहर नहीं है।

08– याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम 1929 निर्धारित आयु से कम उम्र में विवाह पर प्रतिबंध लगाता है, और जब याचिकाकर्ता और उत्तरवादी संख्या 3 का विवाह हुआ था, उस समय आयु समूह 18 और 15 वर्ष था। याचिकाकर्ता की आयु 18 वर्ष से कम थी तथा उत्तरवादी संख्या 3 की आयु 15 वर्ष से कम थी। यदि राज्य प्राधिकारियों ने विवाह को रोक दिया होता तो याचिकाकर्ता को अब उत्तरवादी संख्या 3 को भरण–पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, तथा निषिद्ध विवाह के खंड को बाल विवाह के परिणामों का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम 1929 में निषेधाज्ञा, अपराध का संज्ञान लेने, रिपोर्ट करने, दण्ड देने आदि के तरीके निर्धारित किए गए हैं, तथा राज्य प्राधिकारी कानून के अनुसार उन प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। राज्य प्राधिकारियों ने जानबूझकर बाल विवाह नहीं होने दिया। याचिकाकर्ता ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने में असफल रहा, जहां किसी व्यक्ति द्वारा राज्य प्राधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद, उन्होंने जानबूझकर कानून की अवज्ञा की और उसे निवारण से वंचित कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक सामाजिक अधिनियम है और कुछ प्रावधानों का पालन न करने से अनेक बुराइयां उत्पन्न होती हैं, इसलिए यदि अधिनियम में पर्याप्त प्रावधानों के अभाव में राज्य इस बुराई को रोकने में असमर्थ है, तो राज्य को उचित कानून बनाकर या अन्य कानूनी उपाय करके इस पर काबू पाना सुनिश्चित करना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

09– याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि उसने अधिनियम 1955 और 1929 का उल्लंघन करते हुए उत्तरवादी संख्या 3 से विवाह किया था; इसलिए, उसे भरण–पोषण देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और यदि राज्य है तो उसे उत्तरवादी संख्या 3 का भरण–पोषण करना चाहिए। दूसरी ओर, राज्य द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जब तक विवाह वैध है और संहिता की धारा 125 के तहत परिकल्पित भरण–पोषण प्रदान करने की आवश्यकताएं मौजूद हैं, तब तक याचिकाकर्ता भरण–पोषण का भुगतान करने के लिए बाध्य है

और राज्य को याचिकाकर्ता की पत्नी का भरण–पोषण करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता, जिसने कानूनी फोरम द्वारा कानूनी आदेश के तहत अपनी पत्नी का भरण–पोषण करने के लिए कहे जाने पर कई वर्षों तक उसकी देखभाल नहीं की, उसने इससे बचने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, वह भी उन आधारों पर, जो उसे अपनी पत्नी को भरण–पोषण के भुगतान से बचने के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

10– याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने 4 एम.एस. ग्रेवाल एवं अन्य बनाम दीप चंद सूद एवं अन्य में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया कि न्यायालयों का सामाजिक दायित्व है कि वे लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान दें, लेकिन इस मामले में राज्य की निष्क्रियता के कारण सामाजिक सुधार बाधित हो रहे हैं। इसलिए, न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 का सन्दर्भ देकर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी ओर, यदि यह तर्क दिया जाता है कि उक्त न्याय–विधि, वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होती है, तो हमने इसका अध्ययन किया है। हमें इस मामले में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं दिखती है, जिससे इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोई निर्देश जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाना पड़े।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11– परिणामस्वरूप, याचिका में कोई सार नहीं है, अतः इसे खारिज किये जाने योग्य है, और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

सही/–	**सही/–**
वी.के.श्रीवास्तव	**श्री धीरेन्द्र मिश्रा**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Uday Shankar Dewangan

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur